छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम्

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

भाग - तीन

मांग संख्या – 6, 21, 31, 7,

मांग संख्या – 34, 55,

मांग संख्या – 8, 9, 58, 43,

मांग संख्या – 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71, 26, 27, 37, 44, 51 एवं 77 से संबंधित

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	**श्री ओ. पी. चौधरी**	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	**2 घंटे**
		21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन)	
2.	**श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े**	34	समाज कल्याण	**2 घंटे**
		55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	
3.	**श्री टंकराम वर्मा**	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	**2 घंटे**
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
		43	खेल और युवक कल्याण	
4.	**श्री विष्णुदेव साय**	1	सामान्य प्रशासन	**3 घंटे**
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी)	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		35	पुनर्वास	
		36	परिवहन	
		56	ग्रामोद्योग	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		65	विमानन विभाग	
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	
		27	स्कूल शिक्षा	
		37	पर्यटन	
		44	उच्च शिक्षा	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		77	सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2025 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री उमेश पटेल, सदस्य
4. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
5. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
7. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
8. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
9. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
10. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
11. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
12. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
13. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
16. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
19. श्री संदीप साहू, सदस्य
20. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
21. श्री इंद्र साव, सदस्य
22. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
23. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
24. श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य
25. श्री ओंकार साहू, सदस्य
26. श्री जनक ध्रुव, सदस्य
27. श्री इंद्रशाह मण्डावी, सदस्य

मांग संख्या– 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 1,11,09,43,25,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 4

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) स्वीकृत बजट के विरूद्ध राशि आहरण के ऐसे योजनाओं के प्रस्तावों को भी रोक दिया जाता है, या स्वीकृति नहीं मिलता है, जिनमें धन राशि के अभाव में कार्य बंद हो जाता है, चर्चा कराई जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्तावों के विभाग या तो रोके रहता है, या अस्वीकार कर देता है, जिससे लोक कल्याण के कार्यो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसे सुधारने का उल्लेख नहीं है।

(3) पारित बजट को प्रदेश के सभी क्षेत्र में समान रूप से खर्च करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए न्यूनतम दर का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) घर–घर रोजगार–हर घर रोजगार के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेरोजगारों के लिए रोजगार भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

बेरोजगारों के लिए रोजगार भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में वित्त विभाग के कार्यालयों के लिए बजट में प्रावधान होने के बाद भी कर्मचारियों का काम सुगमता पूर्वक नहीं होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु राशि की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेरोजगारों के लिए रोजगार भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ती हुई मंहगाई के नियंत्रण की कोई विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेरोजगारों के लिए रोजगार भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

युवाओ के लिए बेरोजगारी भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 21

आवास पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 12,08,36,72,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 32

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नवा रायपुर अटल नगर सहित प्रदेश में निर्मित खाली पड़े भवनों के रख–रखाव संरक्षण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश की जीवन दायिनी नदियों को पर्यावरण प्रदूषण से रोकने की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं हैं

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पर्यावरण उपकर निधि व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। वित्तीय कार्य बजट 2025–26 में रू. 1 की कमी आ जाये इसका कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत नई कैप्टिव चूना पत्थर खदान से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत एन.टी.पी.सी. सीपत से हो रहे प्रदूषण को रोकथाम करने का कोई प्रावधान नहीं हैं ।

5. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम हेतु कोई प्रभावकारी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण की रोकथाम का स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 71,49,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला स्तर पर योजना समितियां निष्क्रिय हैं, कानून के अनुरूप के कार्य नहीं कर रही हैं। उनको सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 7

वाणिज्यिक कर (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन) विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 4,63,69,34,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के खुदरा व्यापारियों एवं पौसी पसारी व्यवस्था करने वाले दैनिक व्यपारियों हेतु जी.एस.टी. पंजीयन में छूट का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के नियंत्रण की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भोलाराम साहू, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

   खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के तहसील कुमरदा में पंजीयक कार्यालय की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ती मूल्य के नियंत्रण का बजट में कोई उल्लेख नहीं हैं

मांग संख्या– 34

समाज कल्याण विभाग

मतदेय राशि — रूपये 1,33,95,55,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. **डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनके माता–पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो और उनका पालन पोषण करने वाला कोई न हो, ऐसे बच्चों के लिये आश्रम खोल कर संचालित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

    (2) प्रदेश में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों में शीघ्र भर्ती किये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) निराश्रित पेंशनरो की राशि वद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    महिला स्वसहायता समूहों के ऋण माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    महासमुन्द जिले के बागबाहरा विकासखण्ड में दिव्यांगजनों के लिये व्यय राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में वृद्धाश्रम एवं अनाथालय खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) दिव्यांगजन मितानों के मानदेय में बढ़ोतरी का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) दिव्यांगजन के कल्याण हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    विकलांगों के लिये प्रदेश में शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण के लिये बालोद जिले में संचालित एक मात्र मूकबधिर आवासीय विद्यालय के संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा गुण्डरदेही अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों/ग्रामों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में संचालित अंध, मुक, बधीर शालाओं को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिव्यांग विकास आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

8. **श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण के लिये विधान सभा बिन्द्रानवागढ़ में आवासीय विद्यालय संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 55

महिला एवं बाल विकास

मतदेय राशि रूपये 41,11,30,28,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 39

1. **डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) महतारी वंदन योजना के पात्र समस्त हितग्राहियों को मासिक किश्त भुगतान की कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) महतारी वंदन योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का नाम पोर्टल में जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पड़े कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर भर्ती की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) महतारी वंदन योजना में निराश्रित पेंशनरों को पूरी राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल समृद्धि योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल समृद्धि योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के महिला स्वसहायता समूहों की कर्ज मांफी का विभागीय बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   आंगनबाड़ी कार्यकताओं के संविलियन का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के कुकरेल में महतारी सदन निर्माण कार्य लागत रूपये 29.20 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सिहावा विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत मगरलोड में महतारी सदन निर्माण कार्य लागत 29.20 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के गट्टासिल्ली में महतारी सदन निर्माण कार्य लागत 29.20 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) नगर पंचायत नगरी में महतारी सदन का निर्माण लागत 29.20 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के हर गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में रानी दुर्गावती योजना की शुरूवात कर बी.पी.एल. वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख 50 हजार का आश्वास प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

महतारी वंदन योजना से वंचितों को नये सिरे से जोड़ने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

10. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश के नवीन पात्र हितग्राहियों का नाम पोर्टल में जोड़ने हेतु छूटे हुये हितग्राहियों का नाम जोड़ने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

11. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) महतारी वंदन योजनाओं में छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

12. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधान सभा डोगरगढ़ अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

14. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिये किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

15. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी भवनविहीन केन्द्रों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

16. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करने का प्रभावी उपाय का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के संबंध में समुचित बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

17. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं कार्यकर्ता भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 8

भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 21,58,65,81,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –7

1. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) नव निर्मित तहसीलों में नोटरी के पद स्वीकृत किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (3) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में खल्लारी विधान सभा अंतर्गत किसी भी प्रकार के व्यय की स्वीकृति नहीं दी गई है।

मांग संख्या– 9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि — रूपये 26,49,65,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –7

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   भूमिहीन खेतिहर मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदाय किए जाने का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के तहसील कार्यालय कुमरदा में नवीन तहसील भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कोई रणनीति नहीं है।

5. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड डौंडीलोहारा के देवरी तहसील कार्यालय में (मार्री– बंगला देवरी) लिंक कोर्ट प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

   (2) तहसील कार्यालय गुण्डरदेही में नवीन व्यवहार न्यायालय कार्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

   (3) तहसील मुख्यालय अर्जुन्दा को नवीन राजस्व अनुभाग बनाए जाने हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

   (4) तहसील कार्यालय अर्जुन्दा में स्थायी नोटरी की व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

6. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रभावी एवं विस्तृत कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राज्य की तहसीलों के पटवारियों के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी व्यय का उचित प्रावधान रहित होने से बजट में कटौती की जाए।

8. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पटवारियों को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर क्रय करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) तहसील कार्यालय घुमका में शासकीय आवास निर्माण एवं वाहन क्रय का प्रावधान नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) तहसील कार्यालय घुमका में व्यवहार न्यायालय नवीन का प्रावधान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) तहसील कार्यालय घुमका में नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) तहसील कार्यालय घुमका में स्थायी नोटरी व्यवस्था प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

10. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

11. **श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जैजैपुर विधानसभा के जैजैपुर में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि रूपये 15,52,69,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –7

कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 43

खेल और युवक कल्याण

मतदेय राशि रूपये 1,52,83,10,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 9

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराने की योजना नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के साहसिक खेलों से जुड़े खिलाड़ियों के लिये आवश्यक आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) बस्तर में एडवेंचर स्पोर्टस अकादमी के विकास हेतु बजट के कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) खेल अकादमी में कोच का प्रावधान नहीं है।

   (2) खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी का प्रावधान नहीं है।

   (3) सभी ब्लॉक में सुसज्जित खेल परिसर व खेल छात्रावास के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में खेल विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) बस्तर में एडवेंचर स्पोर्टस अकादमी के विकास का उल्लेख नहीं है।

   (4) विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत ग्राम सोनकर बोरीगांव में मिनी स्टेडियम का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) प्रदेश के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।

   (6) ग्रामीण स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

   (7) प्रदेश में खेलों के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के खल्लारी विधानसभा के लिये किसी भी प्रकार के व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है।

7. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत ग्राम–मनकी विकासखण्ड डौण्डीलोहारा में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला बालोद में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत ग्राम पिनाकापार विकासखण्ड डौण्डीलोहारा में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत आवासीय अकादमिक संचालन हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) जिला बालोद के नगर अर्जुन्दा एवं ग्राम पिनकापार विकासखण्ड डौंडीलोहारा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत इंडोर स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

9. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पामगढ़ में स्टेडियम की मरम्मत एवं सुविधायुक्त बनाने का उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत खरौद में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में मलखम्भ अकादमी की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधानसभा क्षेत्र कसडोल अंतर्गत महाविद्यालयों एवं स्कूलों में क्रीड़ा परिसर/मिनी स्टेडियम एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सरायपाली में नवीन इंडोर स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने कोई नवीन एवं ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–कटघरी विकासखण्ड अकलतरा में सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदा में सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान निर्माण का उल्लेख नहीं है।

13. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर नगर में "खेलो इंडिया" के तहत स्टेडियम निर्माण की पूर्व स्वीकृति थी, इसका उल्लेख नहीं है।

14. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधि को बढ़ावा देने की कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

15. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत किसान परसदा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत लुतरा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत नरगोडा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत ओखर में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ में इंडोर स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या–01

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि रूपये 5,25,29,16,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –1

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी विभाग के द्वारा अपने वेबसाईट पर जानकारियां अपलोड नहीं की जाती है और न ही उनको अद्यतन किये जाने का कोई उल्लेख है।

    (3) प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लोक सेवा में किये गये नियोजनों में आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (4) आऊट सोर्स/ प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लोक सेवा में किये गये नियोजन संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है, अतः इस प्रथा को तत्काल बंद किये जाने और नियोजन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

    (5) अधिकाधिक उच्च एवं नवीन तकनीकी विकास के कार्यान्वयन हेतु दक्ष एवं कुशल कर्मवीर पदस्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

    (6) प्रदेश के शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की स्पष्ट योजना नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में शासकीय विभागों में एक लाख नौकरियों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) प्रदेश में आउट सोर्सिंग बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण का कोई प्रावधान नही है।

3. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में शासकीय विभागों के रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के भर्ती का उल्लेख नहीं है।

    (2) अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) कर्मचारियो को नियमितीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) कर्मचारियों का चार स्तरीय वेतनमान देने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में भ्रष्टाचार आयोग गठन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश में रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) दैनिक वेतन पर लोक सेवा में नियोजन को बंद किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रशासन अकादमी द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण आदि की गुणवत्ता में सुधार का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मंत्रालयीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) आऊटसोर्सिंग/प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लोक सेवाओं में बड़ी संख्या में नियोजन किया गया है जो अवैधानिक है इसे समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) छत्तीसगढ़ लोक आयोग सफेद हाथी है अतः या तो इस बंद कर दिया जाए अथवा सःशक्त बनाया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों नियमितिकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का कोई नहीं है।

(2) प्रदेश आर.एम एस ए अंतर्गत उन्नयीत हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नियमानुसार सफाई का पद स्वीकृत कर भर्ती करने का कोईउल्लेख नहीं है।

(3) शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती किए जाने का बजट में प्रावधान नहीं है

10. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से शासन के अधिकरियों/कर्मचारियों के द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार के रोकथाम का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या–02

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 35,54,58,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –1

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या–07

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 4,63,69,34,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –5

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय पर नियंत्रण करने की कोई योजना नहीं है।

   (2) प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध रूप में शराब का निर्माण तथा विक्रय की गतिविधियों के रोकथाम हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में शराबबंदी का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री भोला राम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में शराबबंदी हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी जावे.**

   (1) प्रदेश में शराबबंदी हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए सामग्री क्रय हेतु प्रावधान किया गया है। किन्तु उसी के अनुरूप अन्य कार्यालय हेतु प्रावधान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनेक प्रकार के मादक पदार्थ अवैध रूप से गांव–गांव तक पहुंचाए जा रहे हैं इसे नियंत्रित करने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी जावे.**

प्रदेश में अवैध शराब निर्माण में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी जावे.**

(1) प्रदेश में शराबबंदी हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में हो रही अवैध शराब की बिक्री और कोचिया प्रथा को रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
(2) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में गांजा तस्करी पर रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कसडोल विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मादक पदार्थो की तस्करी के रोकथाम हेतु कोईउल्लेख नहीं है।

12. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गांजा तस्करों पर रोकथाम हेतु योजना का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(2) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब की बिक्री और कोचिया प्रथा को रोकने हेतु नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

13. **श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में शराबबंदी हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

14. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 31,87,45,82,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 13

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(4) विद्युत विभाग के विद्युत उत्पादन, वितरण एवं संधारण की सोशल ऑडिट की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लंबित बिजली बिल वसूली की कोई योजना को उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में संचालित विद्युत उत्पादन गृहों के रख–रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) निःशुल्क बिजली प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ी हुई बिजली दर को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के उद्योगों में लंबित बिजली बिल की वसूली की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के चारों तरफ बड़े पैमाने पर हो रही बिजली की चोरी को रोकने में लोक सेवक असमर्थ या संलिप्त है इस पर चर्चा नहीं है।

(2) हुकिंग करके बिजली तरंगों वाले नंगे तारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वन्य प्राणियों का शिकार किया जा रहा है। इसे रोकने में विभाग असफल एवं असमर्थ है।

(3) क्रेडा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, और उसके कार्यों की गुणवत्ता भी बहुत घटिया है। इसमें सुधार लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(4) सौर सुजला योजना, सोलर पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इंदिरा गांव गंगा योजना आदि से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने पर क्रेडा ध्यान नहीं देता है इस पर चर्चा।

6. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में सोलर रूफटाप हेतु राशि प्रावधानित है लेकिन आमजनों को इसका सही ढ़ग से लाभ नहीं मिल पा रहा है।

7. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मस्तुरी विधानसभा में नवीन विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ी हुई बिजली दर को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा एवं कसडोल वि.स. क्षेत्रांतर्गत मजराटोला एवं विद्युत विहीन इलाकों में विद्युतीकरण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लक्ष्य में बढ़ोत्तरी नहीं की गई इसका उल्लेख नहीं है।

(3) क्रेडा के अंतर्गत घरेलू/व्यावसायिक उपयोग हेतु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना/संधारण हेतु सब्सिडी में बढ़ोत्तरी नहीं होने के कारण तथा लाभ में बढ़ोत्तरी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

10. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ी हुई बिजली टैरिफ दरों को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ी हुई बिजली टैरिफ दरों को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. **श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ी हुई बिजली दर को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बढ़ी हुई बिजली टैरिफ दरों को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदा में 132 के.वी. स्टेशन स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिजली के दरों में हो रही बढ़ोत्तरी को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ऊर्जा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं किया गया है।

16. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली बिल की दर कम करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 6,09,21,84,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 35

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश की सड़कों में रह रहे आवारा पशुओं के उचित संरक्षक संवर्धन की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) पशु औषधालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) लावारिस मवेशियों की व्यवस्था के संबंध में कोई कारगार योजना का कोई प्रावधान नहीं हैं।

3. **श्री भोला राम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नवीन पशु औषधालय प्रारंभ करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   हाइवे पर बड़ी संख्या पशुधन घूमते रहते है या विश्राम करते है जिससें दुर्घटनाएं भी होती है और पशुधन की मुत्यु भी होती है, इसके रोकथाम के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में नवीन पशु औषधालय प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मस्तुरी विधानसभा में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में नवीन पशु औषधालय की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

7. **श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नवीन पशु औषधालय प्रारंभ करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नवीन पशु औषधालय प्रारंभ करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) दुग्ध एवं डेयरी संचालन के लिये कृषकों को देय अनुदान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पशुपालन हेतु पशुओं में होने वाले रोगों के रोकथाम/उपचारार्थ हेतु विशेषज्ञों एवं सहायकों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं हैं।

10. श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नवीन पशु औषधालय प्रारंभ करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पशु औषधालय खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम ठेलकाडीह विकासखण्ड खैरागढ़ में नवीन पशु औषधालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आवारा पशुधन के रख–रखाव हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 16

मछली पालन

मतदेय राशि रूपये 98,37,07,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 36

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में मछली पालन को कृषि का दर्जा प्राप्त है। उसके अनुसार अनुदान इत्यादि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मछली पालन हेतु कोई विशेष योजना का उल्लेख नहीं हैं।

3. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड में कर्मचारी की कमी है, जिसके कारण इस बोर्ड के गठन का प्रयोजन निष्फल हो रहा है। इस पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) मत्स्य महासंघ के बीज प्रक्षेत्रों तथा जलाशयों के उत्पादन क्षमता को बहुत कम उपयोग हो रहा है, इसकी ओर विभाग उदासीन है। जिससे मछुओं का कल्याण बाधित हो रहा है। चर्चा कराई जाए।

4. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए समितियों के अनुदान में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

6. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 9,67,89,99,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 12

1. डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के हजारों प्रकरण प्रकाश में आते है परंतु शासकीय सम्पत्ति की चोरी, अफरा–तफरी का प्रकरण दर्ज करने तथा उसके रोकथाम की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में अवैध गौण खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अवैध रेत उत्खनन रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चिन्हित रेत खदानों को जानबूझकर समय पर लीज पर देने की कार्यवाही नहीं करके अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के हजारों प्रकरण प्रतिवर्ष प्रकाश में आते है। इनमें समूचित कार्यवाही नहीं की जाती है, इस पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में इस हेतु प्रावधानित राशि होने के बाद भी अवैध खनन को रोकने के लिए पर्याप्त कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध खनिज (रेत) उत्खनन परिवहन, भण्डारण की रोकथाम की कोई योजना का उल्लेख नहीं हैं।

6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला उत्खनन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधान सभा अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन रोकने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा विधानसभा अंतर्गत रेत के अवैध उत्खनन को रोकने का उल्लेख नहीं हैं।

9. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध खजिन उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि | रूपये 5,52,34,94,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 24

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के जनसम्पर्क विभाग की पारदर्शी कार्यप्रणाली एवं निष्पक्ष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) संवाद के माध्यम से जारी विज्ञापनों पर संवाद द्वारा लिये जाने वाले कमीशन के कारण विज्ञापन कीं लागत बहुत बढ़ जाती है, विज्ञापन सीधे भी दिये जा सकते है। इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पत्रकारों के लिये विशेष सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   संवाद के माध्यम से जारी विज्ञापनों पर संवाद द्वारा लिये जाने वाले कमीशन के कारण विज्ञापन की लागत बहुत बढ़ जाती है, विज्ञापन सीधे भी दिये जा सकते है। इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में पत्रकारों के निजी आवास निर्माण हेतु पत्रकार गृह निर्माण योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या–35

पुर्नवास

मतदेय राशि रूपये 2,86,38,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –7

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बजट भाषण में प्रदेश की पुर्नवास नीति पर कोई चर्चा का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   उत्खनन प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों एवं कृषकों पुर्नवास एवं उत्थान के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   कर्रा जलाशय डुबान क्षेत्र में आए किसानों को मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 36

परिवहन

मतदेय राशि   रूपये 2,07,79,99,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –8

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कोई कार्य योजना नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) महिलाओं के आने–जाने के लिये निःशुल्क परिवहन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में हो रहे लगातार सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) छात्र–छात्राओं को कॉलेज आने–जाने हेतु निःशुल्क परिवहन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) आमजन को कम दर पर बस सर्विस उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में परिवहन विभाग इतनी राशि का व्यय होने के बाद भी सड़क दुर्घटना में कमी नहीं हो रही है एवं अच्छी सुविधा की भी कमी है।

5. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में परिवहन हेतु निर्मित चेक पोस्ट के आधुनिकीकरण का बजट में उल्लेख नहीं है।

8. **श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

9. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।

10. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अवैध रेत परिवहन को रोकने कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ओवरलोड राखड़ परिवहन का रोकथाम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय जाने हेतु निःशुल्क परिवहन का प्रावधान नहीं है।

11. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं रोकने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

12. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में टोल पर हो रहीं वृद्धि को कम करने का उल्लेख नहीं है।

(2) परिवहन चेक पोस्ट पाटेकोहरा में लेखापाल एवं लेखा अधिकारी के नवीन पद का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु क्या उपचार किया जायेगा का उल्लेख नहीं है।

13. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) परिवहन विभाग द्वारा नवीन जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ तथा सीमावर्ती उड़ीसा क्षेत्र में कोई नवीन चेक पोस्ट (परिवहन) नहीं खोलने/सृजन होने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

14. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने कोई ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।

15. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर–चांपा जिला में सिटी बस संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 56

ग्रामोद्योग

मतदेय राशि रूपये 1,38,38,84,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –10

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के ग्रामीण लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के विनिर्माण एवं विकास की कोई कार्ययोजना नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों के विकास हेतु सरकार की कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

3. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में ग्रामीण हस्तशिल्प विकास हेतु कोई विशेष योजना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) राज्य के शासकीय विभागों में पर्दा/कपड़े सप्लाई करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) राज्य के हाथकरघा/कुटीर उद्योगों बुनकरों के उत्थान/संरक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राज्य में शासकीय विभागों में सप्लाई करने वाले बुनकर समितियों एवं कंबल निर्माण यूनिट को बढ़ावा देने हेतु किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

मतदेय राशि   रूपये 2,08,50,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला स्तर पर गतिविधियां नगण्य है, इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है पर्याप्त प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला स्तर पर कामकाज बहुत कमजोर है, इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 65

विमानन

मतदेय राशि रूपये 1,58,63,64,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –44

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के रायगढ़, दुर्ग, जशपुर, कोरबा जिलों को उड़ान योजना में जोड़ने का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   कोरबा में व्यवसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के ऊर्जा नगरी कोरबा में व्यवसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राज्य में एयर एम्बुलेंस एवं पर्यटन हेतु हेलीकॉप्टर सुविधा का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राज्य में एयर एम्बुलेंस एवं पर्यटन हेतु हेलीकॉप्टर सुविधा का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

मतदेय राशि **रूपये 3,79,99,98,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 35

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश की राजधानी से ग्राम पंचायत स्तर तक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजीटल सूचना तंत्र विकसित करने की कोई स्थायी कार्य योजना नहीं है।

   (2) ई–ऑफिस प्रणाली का समुचित लाभ आम जनता तक पहुंचने के समय का उल्लेख नहीं है।

   (3) सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसन और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए "डिजिटल गवर्नेंस" का समुचित एवं सरल उपयोग कब तक चालू होने का उल्लेख नहीं है।

   (4) "अटल मॉनिटरिंग पोर्टल" आम जनता के लिए कब तक सुलभ उपलब्ध होगा का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के विस्तार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में साईबर अपराध के रोकथाम हेतु साईबर एक्सपर्ट एवं कम्प्यूटर एक्सपर्ट की सीधी भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बढ़ते साईबर अपराध के रोकथाम हेतु साईबर एक्सपर्ट एवं कम्प्यूटर एक्सपर्ट की सीधी भर्ती का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 90,73,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में विलुप्त हो रही सांस्कृतिक विरासत में समुचित संरक्षण, संवर्धन की कोई कार्य योजना नहीं है।

    (2) छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कलाकारों के आर्थिक विकास का प्रावधान नहीं है।

    (3) पंजीकृत रामायण मण्डली, भजन मण्डली को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।

    (4) छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

    (5) छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

    (6) प्राचीन स्थलों का संरक्षण, संवर्धन का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कलाकारों के प्रोत्साहन एवं आर्थिक विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश के लोक कलाकारों को उचित सम्मान दिये जाने एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (2) लोक कला को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

    (3) पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (4) छत्तीसगढ़ पर्व एवं त्यौहारों के आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ परब सम्मान निधि योजना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना का उल्लेख नहीं है।

    (2) छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं भाषा को समृद्ध करने हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

5. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) छत्तीसगढ़ के स्थानीय रामायण मण्डली, भजन मण्डली को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 27

स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि रूपये 1,03,47,07,99,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 20

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अभिभाषण में उल्लेखित प्रदेश के स्कूलों में 18 भाषाओं की शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था हेतु विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के जर्जर विद्यालय भवनों के उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) भवनविहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) प्रदेश में नवीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) स्कूलों के सफाई कामगारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(7) स्कूलों में कार्यरत सफाई कामगारों को नियमित करने की कोई कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

(8) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में मध्यान्हन भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।

(9) आत्मानंद स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(10) सरस्वती सायकल योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(11) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।

(12) शिक्षको के रिक्त पदों को भरने के लिये बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(13) स्कूलों के मूलभूत सुविधा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में रिक्त 57000 शिक्षक पदों पर भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) 3000 बी एड धारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति पश्चात उन्हें किसी अन्य पद पर समायोजन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में नौकरी से निकाले गये लगभग 3000 शिक्षकों (बी.एड. डिग्रीधारी) को समायोजन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के स्कूलों में रिक्त ग्रंथपाल के पदों के भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सभी छात्र–छात्राओं को मुफ्त पुस्तक और स्टेशनरी प्रदाय करने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्रीमती सवित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा भानुप्रतापपुर अन्तर्गत एक भी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्कूलों के सफाई कामगारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश की निजी स्कूलों में मनमानी फीस रोकने फीस नियामक आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सरस्वती सायकल योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में शाला से हायर सेकेण्डरी स्कूल तक कृषि शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) जिला बस्तर विकासखण्ड बस्तर व बकावंड अंतर्गत संचालित पूर्व माध्यमिक शाला हाई स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) जिला बस्तर अंतर्गत जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूलों हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) जिला बस्तर अंतर्गत संचालित हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) शासकीय कन्या शिक्षा परिसर करचनपाल विकासखण्ड बस्तर में छात्राओं की सीट संख्या में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत संचालित शिक्षक विहिन शालाओं में पदपूर्ति/शिक्षक भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) जिला बस्तर में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला सीताकसा में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला जंगलपुर में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हैदलकोड़ों में नवीन पूर्व शासकीय माध्यमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला उमरवाही में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्मााण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उमरवाही में नवीन पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला तोमागोंदी में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला बाम्हणभेड़ी में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला सिगरापटोला में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला तेलीटोला में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय पूर्व माध्यमिक बा.अ. चौकी में नवीन बालक पूर्व माध्यमिक शाला का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला छिन्दीबिरही में नवीन प्राथमिक शाला भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पाण्डुका में नवीन प्राथमिक शाला भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल साल्हेटोला में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल चिरचारीखुई में हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल जोशीलमती का शासकीय हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र शासकीय हाई स्कूल धुहाडबरी को शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ओरेबांधा को शासकीय हाईस्कूल में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) शासकीय प्राथमिक शाला टीपानगढ़ को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाखा बैरागीभेंड़ी में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(20) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला मोतीपुर में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(21) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला मासूल में नवीन प्राथमिक भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(22) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला पठानढ़ोड़गी का शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत नवीन प्राथमिक शाला खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) स्कूलों के सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकुर्दीकेरा स्थित हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत ग्राम पंचायत रोक स्थित हाई स्कूल का हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत ग्राम पंचायत भरारी स्थित हाई स्कूल को हायर सकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगवां के हाई स्कूल को हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत भवन विहीन स्कूलों में नवीन भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) शासकीय शालाओं में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में शिक्षा विभाग में शिक्षा के गुणवत्ता के लिये अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है तथा नवीन भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री इंद्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नवीन भवन विहीन शासकीय हाई बिजराडीह विकासखण्ड भाटापारा जिला बलौदाबाजार में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भवन विहीन शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कोदवा विकासखण्ड भाटापारा जिला–बलौदाबाजार में नवीन भवन, हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) भवन विहीन शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल अकलतरा विकासखण्ड भाटापारा जिला बलौदाबाजार में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के भवन विहीन शासकीय स्कूलों में सर्वसुविधा युक्त भवन निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश की भवन विहीन शालाओं में भवन निर्माण की समुचित योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों में विषय शिक्षकों के रिक्त पद भरने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी एवं सुविधा विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) हाई स्कूल चंगोरी विकासखण्ड अकलतरा का उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) हाई स्कूल परसही बाना विकासखण्ड अकलतरा का उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के शासकीय स्कूलों के जर्जर भवनों को डिस्मेंटल कर नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मध्यान्ह भोजन रसोईयों के मानदेय वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में नवीन सर्वसुविधा युक्त बालक–बालिका छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम शिकारीटोला ग्राम पंचायत गातापारकला विकासखण्ड खैरागढ़ के प्राथमिक शाला को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम कांकेतरा विकासखण्ड राजनांदगांव के पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम मुरमुंदा जिला राजनांदगांव में प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) विधान सभा क्षेत्र में नवीन कृषि हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) शिक्षक एवं सहायक शिक्षक में चयनित बी. एड. प्रशिक्षितों को पुनः व्यवस्थापन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(9) ग्राम कटेमा मारूटोला मढ़ीपार, केरला भवानी जिला केसीजी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश में नवीन स्वामी आत्मानंद स्कूलों में सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छात्रओं के लिये सरस्वती सायकल योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भवन विहीन स्कूलों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एवं प्रदेश स्तर पर स्कूलों का उन्नयन एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सरस्वती सायकल योजना के तहत कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत सभी वर्गों के बालिकाओं को सायकल दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विषयवार रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में नवीन भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री फूल सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रामपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हाई स्कूलों हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में नवीन सर्वसुविधा युक्त बालक–बालिका छात्रावास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मध्यान्ह भोजन रसोईयों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के शासकीय स्कूलों के जर्जर भवनों को डिस्मेंटल कर नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छात्राओं के लिये सरस्वती सायकल योजना का कोई उललेख नहीं है।

(5) राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उत्तीर्ण होकर निकल रहे विद्यार्थीयों के लिये अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम करमतरा के हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में किये जाना का बजट में कोई उल्लेख ननहीं है।

19. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षक भर्ती का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र के हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मिडिल स्कूल कटघरी के उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला बालोद विकासखण्ड गुण्डरदेही अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल परसाही (टी) के नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गुण्डरदेही विधान सभा अंतर्गत ग्राम–शिकारीटोला में शासकीय प्राथमिक शाला में नवीन भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जिला बालोद विकासखण्ड डौंडीलोहारा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खैरा (मारी बंगला) में नवीन भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) गुण्डरदेही विधान सभा अंतर्गत ग्राम–पिनकापार विकासखण्ड डौण्डीलोहारा में शासकीय उच्चतर माध्यिमक शाला हेतु नवीन भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या–37

पर्यटन

मतदेय राशि रूपये 2,22,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –30

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) राम वनगमन पथ के मार्गो को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में पर्यटन के समुचित विकास एवं पर्यटन स्थलों में सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में पूर्व से निर्मित एवं बंद पड़े पर्यटन केन्द्रों/होटलों को पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में वन अभ्यारण्यों में पर्यटन को विकसित करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) प्रदेश में प्राचीन धार्मिक पर्यटन केन्द्रों के अधोसंरचना के विकास का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) नवीन पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटन स्थल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राम वनगमन पथ के मार्गो को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कुटेला धाम को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सोनादई विकासखण्ड दुर्गुकोंदल (कांकेर) को पर्यटन के रूप में विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जिला धमतरी के माड़मसिल्ली डेम भोथापारा को पर्यटन स्थल घोषित कर मूलभुत सुविधा हेतु रू.200.50 लाख की स्वीकृति करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला धमतरी के नरहरा पारा जलप्रपात को पर्यटन स्थल घोषित कर मूलभूत सुविधा हेतु रू. 200.50 लाख स्वीकृति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री कुंवर सिंह निषाद , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हड़गहन जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र में विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर के अधोसंरचना विकास एवं इसे पर्यटन के विश्वपटल पर स्थापित करने हेतु कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 44

उच्च शिक्षा

मतदेय राशि रूपये 12,84,28,76,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 38

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

    (2) प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ए.आई. तकनीक को बढ़ावा देने की कोई कार्य योजना नहीं है।

    (3) प्रदेश में महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों के भरे जाने का प्रावधान नहीं है।

    (4) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिए जाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

    (5) छात्रों को कॉलेज आने–जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउन्स दिए जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    प्रदेश के गरीब छात्रों को सभी प्रोफेशनल कॉलेजों में 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) बालोद जिला में बी.एड., डी.एड. खोलने का उल्लेख नहीं है।

    (2) रायपुर एवं बिलासपुर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को छात्रावास सुविधा प्रदान करने हेतु प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति एवं नवीन संकाय/विषय संचालित करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश के कॉलेज आने जाने के लिए छात्रों को डी.बी.टी. के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

    (2) छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हब बनाकर 6 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

5. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छात्रों को कॉलेज आने–जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउंस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में नवीन शिक्षा महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरवाही में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गैंदाटोला में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुमरदा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सिहावा विधानसभा क्षेत्र गट्टासिल्ली ब्लॉक मुख्यालय नगरी में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भानुप्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम हल्बा एवं कोरर में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माहुद (बी) में नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला बालोद विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत पिनकापार चौरेल एवं राहुद में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शलखन एवं ससहा में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

12. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों के भरने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा क्षेत्रांतर्गत कोई नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

14. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकीय कार्यों के रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।

15. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत मुख्यालय मस्तुरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत मस्तुरी में शिक्षा महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ी में कृषि महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. **श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जैजैपुर विधानसभा के ग्राम छपोरा एवं भोथिया में शासकीय नवीन कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

17. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

18. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर चांपा विधानसभा के चांपा में नवीन कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

19. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से उत्तीर्ण होकर निकल रहे विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।

20. **श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या–51

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

मतदेय राशि रूपये 49,30,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –7

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजन हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के पुरातत्व स्थलों के विकास की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहार के आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
(4) प्रार्चीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
(5) प्रदेश की सभी पुरातात्विक महत्व के धार्मिक प्रतिष्ठानों के विकास की कार्ययोजना में कोई उल्लेख नहीं है।
(6) छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थलों के उन्नयन हेतु बजट में कोई प्रावधन नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
(2) छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थलों के उन्नयन हेतु बजट में कोई प्रावधन नहीं है।

3. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों में मॉडल जैतखाम का निर्माण करने की कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चारभांठा विकासखण्ड गुण्डरदेही के जोगीमठ मेला स्थल आश्रम में समरसता भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

डोंगरगढ़ मेले में मेला स्थल पर सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धार्मिक न्यास स्थलों/मेला स्थलों में शौचालय एवं स्वच्छता के लिए शौचालयों का निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के मेला स्थलों/आश्रमों एवं धार्मिक स्थलों में विश्राम गृह सर्व सुविधा युक्त ठहरने का निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या–77

सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 74,37,10,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 6

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडिया स्टेटस तथा ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया के साथ किये गये अनुबंध असंवैधानिक है, इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में सुशासन एवं अभिसरण व्यवस्था हेतु उपलब्ध समुचित संसाधनों के भरपुर एवं समुचित उपयोग की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश में जनशिकायतों निवारण हेतु स्थापित लोक सेवा गारन्टी कानून के कारण क्रियान्वयन का प्रावधान नहीं है।

2. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडिया स्टेटस तथा ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया के साथ किये गये समझौता ज्ञापन पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

   (2) कतिपय निजी संस्थानों यथा सी.ई.जी.आई.एस. तथा टी. आर.आई. के साथ किये गये एम.ओ.एल.एल. के कारण ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का उल्लंघन पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर योजनाओं की निगरानी के लिए राशि का प्रावधान अन्य विभाग की राशि के अनुसार अनुरूप नहीं किया गया है।